Title: Need to provide social security benefits to persons living below poverty line and persons with disabilities.-laid

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): वर्तमान जनकल्याणकारी और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बचतों को प्रोत्साहन या सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न उपायों के माध्यम से मानव जीवन को भविष्य की अनिश्चितताओं के सापेक्ष सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा सकता है । इस क्रम में सरकार द्वारा सभी देशवासियों के लिए वित्तीय उपायों के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत अनेक कल्याणकारी प्रयास किए जा रहे हैं और इस योजना के एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSP) के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दिव्यागों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के द्वारा पेंशन भी दी जा रही है । एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में 7.73 लाख दिव्यागों को 77.34 करोड़ रूपये प्रदान किए गए और वर्ष 2022-23 में इनकी संख्या पूरे देश में लगभग 8 लाख व उत्तर प्रदेश में लगभग 75 हज़ार रही ।

परन्तु इन राहत उपायों में व्यापकता की आवश्यकता है । सामाजिक सुरक्षा हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा के सभी आयाम जैसे पेंशन, स्वास्थ्य इत्यादि एक साथ सम्मिलित हों तथा ये न सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे अपितु सभी आय वर्ग के दिव्यांग जनों के लिए हों एवं इस समग्र सामाजिक सुरक्षा उपाय के लिए निजी क्षेत्र को बेहद सस्ते सामाजिक सुरक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारे भी अपना योगदान कर सके ।

इसके अतिरिक्त जन्मजात व अन्य प्रकार के मानसिक रोगियों के प्रति सामाजिक सुरक्षा उपायों की भी नितांत आवश्यकता है | वर्तमान में पेरेंट एसोसिएशन को मानसिक रोगियों हेतु लोन उपलब्ध कराने की ही व्यवस्था है । निजी क्षेत्र में भी इनके लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का अभाव है |

अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के साथ साथ सभी आय वर्ग के दिव्यांग और मानसिक रोगियों के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर समग्र सामाजिक उपाय करके पेंशन,स्वास्थ्य बीमा इत्यादि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँ ।